न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/270

छोटा आयु 75 वर्ष आत्मज रामचन्द्र जाति बैरवा निवासी जावटी कला तहसील व जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

मूर्ति गोविन्दनाथ जी महाराज विराजमान बून्दी शहर द्वारा व्यवस्थापक एवं हितेषी संरक्षक निरीक्षक दवेस्थान विभाग बून्दी तहसील व जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री रमेश जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री गौरव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 28.11.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.04.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम जावटीकला तहसील व जिला बून्दी में आराजी खसरा नम्बर 28 की रकबा 16 बीघा 02 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गोविन्दानाथ जी महाराज के नाम से खातेदारी में दर्ज है । अप्रार्थी ने उक्त वादग्रस्त आराजी पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर रखा है । उक्त भूमि की आय से मूर्ति मंदिर की सेवा पूजा, तेल, भोग मंदिर के रखरखाव व मरम्मत तथा धार्मिक उत्सवों में होने वाले खर्चे की व्यवस्था की जाती है जिससे प्रार्थी महरूम है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी पर दौराने वाद रिसीवर नियुक्त किया जावे विकल्प में अप्रार्थी दौराने वाद भूमि पर कब्जा बनाये रखना चाहे तो 2000/- रूपये प्रतिबीघा प्रतिवर्ष के हिसाब से नगद प्रतिभूति राशि जमा कराने का आदेश पारित किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 05.04.2017 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थी यदि दौराने वाद अपना कब्जा बनाये रखना चाहे तो 2000/– रूपया प्रतिबीघा प्रतिवर्ष के हिसाब से सम्बन्धित तहसील में नगद प्रतिभूति राशि जमा कराने की शर्त पर कब्जा बनाये रख सकता है ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.04.2017 से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट अपने पिता रामचन्द्र व उनके पूर्वज गत 70 वर्षों से टिनेन्ट की हैसियत से काबिज काश्त चले आ रहे हैं व लगान जमा कराते चले आ रहे हैं । काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व ही उक्त भूमि पर टिनेन्ट के रूप में दर्ज होने के कारण अपीलान्ट उक्त भूमि के खातेदार बन चुके हैं । उक्त भूमि पूर्व में हवाला माफीदार दर्ज थी तथा अपीलान्ट के पूर्वज टिनेन्ट की हैसियत से दर्ज थे। माफीदारान को लगान अदा कर रहे हैं इस कारण व खातेदार बन चुके हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.04.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं कानूनी नजीरों का अवलोकन किये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट अपने पिता रामचन्द्र व उनके पूर्वज गत 70 वर्षों से टिनेन्ट की हैसियत से काबिज काश्त चले आ रहे हैं व लगान जमा कराते चले आ रहे हैं । काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व ही उक्त भूमि पर टिनेन्ट के रूप में दर्ज होने के कारण अपीलान्ट उक्त भूमि के खातेदार बन चुके हैं । उक्त भूमि पूर्व में हवाला माफीदार दर्ज थी तथा अपीलान्ट के पूर्वज टिनेन्ट की हैसियत से दर्ज थे। माफीदारान को लगान अदा कर रहे हैं इस कारण व खातेदार बन चुके हैं । वादग्रस्त आराजी द्विनांक 26.10.1963 के पूर्व हवाला माफीदार में थी तथा प्रतिवादी व उसके पूर्वज खातेदार टिनेन्ट की हैसियत से भूमि पर काबिज थे तथा लगान जमा कराते चले आ रहे हैं । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का स्वीकृत रूप से गत 70 वर्षो से कब्जा है काबिज व्यक्ति से नगद प्रतिभूति राशि नहीं लिया जाना चाहिए । विकल्प में निवेदन किया कि उक्त भूमि अनउपजाउ है अपीलान्ट गरीब काश्तकार है । उक्त भूमि पर नगद प्रतिभूति राशि अधिक लगायी गई है ज्यादा से ज्यादा 500/– रूपये प्रतिबीघा प्रतिवर्ष के हिसाब से नगद प्रतिभूति राशि लगायी जानी चाहिए थी । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनां 05.04.2017 निरस्त फरमाया जावे। विकल्प में यदि नगद प्रतिभूति राशि लगाना आवश्यक समझाा जावे तो 500/– रूपये प्रतिबीघा प्रतिवर्ष के हिसाब से नगद प्रतिभूति राशि लगाये जाने का आदेश पारित किया जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में आरएलडब्ल्यू 1992 (1) पेज 592, आरआरडी 1995 पेज 640 उद्धरत की ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी मंदिर श्री गोविन्दनाथ जी महाराज स्थान बून्दी के नाम खातेदारी में दर्ज है । मूर्ति मंदिर शास्वत नाबालिग है जो अपनी भूमि पर किसी भी व्यक्ति से काश्त करवा सकते हैं परन्तु काश्त करने

वाले व्यक्ति को उक्त भूमि पर किसी प्रकार के हक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा अतिक्रमी की हैसियत से है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.04.2017 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में राजस्थान सरकार द्वारा जारी राजपत्र की फोटो प्रति संलग्न है जिसके अनुसार मंदिर श्री गोविन्दनाथ जी देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियत्रिंत राजकीय आत्मनिर्भर मंदिरों एवं संस्थानों की सूची में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2064 से 2067 की फोटो प्रति संलग्न है जि़सके अनुसार नया खाता संख्या 194 में खसरा नम्बर 28 की 16 बीघा 02 बिस्वा भूमि मंदिर श्री गोविन्दनाथ जी महाराज स्थान बून्दी के नाम खातेदारी में दर्ज है ।

10. वादग्रस्त आराजी वादी मंदिर श्री गोविन्दनाथ जी महाराज स्थान बून्दी के नाम खातेदारी में दर्ज है । मूर्ति मंदिर शास्वत नाबालिंग है और वह अपने खातेदारी की भूमि को किसी भी व्यक्ति से काश्त करवा सकता है । वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थी अपीलान्ट बहैसियत अतिक्रमी काबिज हैं । मूर्ति मंदिर के उसके हितों को संरक्षित रखने का दायित्व न्यायालयों का भी है । अधीनस्थ न्यायालय ने मंदिर मूर्ति के हितों को संरक्षित रखने हेतु वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थी द्वारा ताफैसला वाद अपना कब्जा बनाये रखने पर 2000/– रूपया प्रतिबीघा प्रतिवर्ष के हिसाब से नगद प्रतिभूति राशि सम्बन्धित तहसीलदार के समक्ष जमा कराने की शर्त पर कब्जा बनाये रखने की अनुमति दी है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । वादग्रस्त आराजी नहरी है जिसकी नगद प्रतिभूति की राशि उचित प्रतीत होती है । इस प्रकार हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.04.2017 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 28.11.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/11/18

(भागवती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा